प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने किया किसान रैली को संबोधित

विशेष संवाददाता

भोपाल, 24 फरवरी. भारत-अमेरिका प्रस्तावित व्यापार समझौते के विरोध में मंगलवार को भोपाल के अटल पथ पर कांग्रेस द्वारा 'किसान महाचौपाल' के तहत एक विशाल जनसभा आयोजित की गई. सभा में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के संबोधन के बाद प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं ने किसानों को संबोधित किया.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि यह व्यापार समझौता नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्यक्तिगत समझ का परिणाम है, जिससे देशहित और किसानों के हितों को नुकसान पहुंचेगा. उन्होंने कहा कि यह समझौता किसानों के लिए "तीर" साबित होगा. पटवारी ने नोटबंदी और जीएसटी को लेकर राहुल गांधी की पूर्व चेतावनियों का उल्लेख करते हुए कहा कि वे बाद में सही साबित हुईं. उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार की कार्यप्रणाली की भी आलोचना की और लंबे आंदोलन के बाद कृषि कानूनों की वापसी का जिक्र किया.

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर सरकार को घेरा और कहा कि साठ के दशक में कांग्रेस शासन में शुरू की गई एमएसपी व्यवस्था को वर्तमान सरकार मजबूत करने में विफल रही है. उन्होंने वर्ष 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में किसानों के ऋण माफी का उल्लेख किया.

इस अवसर पर प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, सह-प्रभारी संजय दत्त एवं सह-प्रभारी रणविजय लोचव उपस्थित रहे. कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य कमलेश्वर पटेल एवं ओंकार मरकाम, राष्ट्रीय मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा, अशोक सिंह, पूर्व सांसद नकुलनाथ, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह एवं गोविंद सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति तथा पूर्व उपाध्यक्ष हिना कावरे भी कार्यक्रम में शामिल हुए.

> पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया एवं अरुण यादव, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पीसी शर्मा, तरुण भनोट, सुखदेव पांसे एवं जयवर्धन सिंह भी मौजूद रहे. इसके अलावा आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, प्रदेश मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक, संगठन महामंत्री डॉ. संजय कामले, एआईसीसी सचिव कुणाल चौधरी, एआईसीसी प्रभारी तनुज पुनिया, शहर जिला अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना, ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनोखी पटेल, अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार, आदिवासी कांग्रेस अध्यक्ष रामू टेकाम, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी, किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान, ओबीसी विभाग के अध्यक्ष सिद्धार्थ कुशवाहा, एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे तथा यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया सहित विधायकगण, पूर्व विधायकगण, विधानसभा प्रभारी, जिला अध्यक्ष एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

एक नजर में

राहुल के दौरे पर धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कंसा तंज

भोपाल. संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने राहुल गांधी के भोपाल दौरे पर तंज कसा और उन्हें किसानों की समस्याओं और वास्तविक जीवन की समझ न रखने वाला बताया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 'चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं' और उनका जन्मदिन तक एयरप्लेन में मनाया जाता है. मंत्री ने आरोप लगाया कि उन्हें यह भी नहीं पता कि मप्र में कौन-कौन सी फसलें होती हैं और गेहूँ से आटा कैसे बनता है. लोधी ने कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए कहा कि जब कांग्रेस शासन में थी और दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, तब किसानों को 18 प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज दिया जाता था.

14 दिन के विक्रय मूल्य पर तय होगा सरसों का मॉडल रेट

कैबिनेट ने लगाई सरसों को भावांतर योजना में शामिल करने के प्रस्ताव पर मुहर

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 24 फरवरी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सदन में घोषणा के एक दिन बाद सरसों को भी भावांतर योजना में शामिल कर लिया गया है. कैबिनेट ने मंगलवार को भावांतर योजना में सरसों की खरीदी के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी.

निर्णय के तहत 14 दिनों में मंडियों में बिक्री के औसत मूल्य के आधार पर सरसों का मॉडल रेट तय होगा, उसके बाद जो अंतर की राशि होगी, उसे किसानों को दी जाएगी. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सदन में कैबिनेट के लिए गए निर्णयों की जानकारी साझा की और कहा कि सरकार किसान वर्ष में किसानों के प्रति समर्पित है.

निर्णय के तहत भावांतर योजना सरसों प्रदेश में 23 मार्च से 30 मई तक जारी रहेगी. कैबिनेट ने कृषि से जुड़ी पांच और योजनाओं को लगातार जारी रहने की मंजूरी भी दी है, इन योजनाओं पर वर्ष 2031 तक 10500 करोड़ रुपए की बड़ी राशि खर्च होगी. इनमें पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को एक अप्रैल 2026 से 31 मार्च 31 मार्च 2031 तक बरकरार रखा जाएगा, इस अवधि में 2008 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होगी. इसी तरह पर ड्रॉप-मोर क्रॉप योजना को भी अगले पांच वर्ष तक निरंतर रखा जाएगा, इस अवधि में 2393 करोड़ 97 लाख रुपए की राशि खर्च होगी, जिसे हरी झंडी दी गई.

इसी क्रम में मप्र में दलहन, धान, गेहूं, मोटा अनाज आदि को बढ़ावा देने के लिए शुरू राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन को भी अगले पांच वर्ष जारी रखा जाएगा. इस मिशन पर भी 3285 करोड़ 49 लाख रुपए खर्च करने की मंजूरी कैबिनेट ने दी है. इसी तरह प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की योजना नेशनल मिशन ऑन नेचरल फार्मिंग को भी 31 मार्च 2031 तक जारी रखा जाएगा.

राहुल को सीएम की चुनौती

सीएम द्वारा सदन में कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी को लेकर दिये व्यक्तव्य के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी के दबाव में तो सरकार किसानों को ये सौगातें नहीं दे रहे हैं. ये पहले भी दिया जा सकता था, आज ही का दिन क्यों चुना. इस पर सत्ता पक्ष के सदस्य रामेश्वर शर्मा ने कहा कि उनकी बात तो कांग्रेसी नहीं मान रहे हैं, हम क्या खाक मानेंगे, ये तो सीएम डॉ. यादव का धन्यवाद जो कि किसानों के लिए लगातार काम कर रहे हैं. इस पर सीएम ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रति अपनी निष्ठा दिखा रहे हैं, ये अच्छी बात है. मैं विनम्रता से केवल इतना कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उनसे तीन सवाल पूछ लें, रबी और खरीफ में कौन-कौन सी फसलें लगती है. केवल ये बता दें, दलहन में कौन-कौन सी दालें मप्र में होती है और यह बता दें कि हमारे यहां तिलहन में क्या होता है.

मध्यप्रदेश में मौसम में बदलाव का क्रम जारी

05 जिलों में अलर्ट जारी

मंगलवार को कई शहरों में दिन में तेज धूप रही

भोपाल, 24 फरवरी. मध्य प्रदेश में फरवरी माह में मौसम का मिजाज असामान्य बना हुआ है. दक्षिणी हिस्सों में बने कम दबाव के क्षेत्र और दो सक्रिय द्रोणिकाओं के असर से प्रदेश में चौथी बार बारिश का दौर शुरू हो गया है. मौसम विभाग ने बालाघाट, डिंडौरी, अनूपपुर, मंडला और सिवनी समेत पांच जिलों में वर्षा का अलर्ट जारी किया है.

सोमवार को कई शहरों में दिन में तेज धूप रही, लेकिन शाम होते-होते मौसम बदल गया. जबलपुर में धूल भरी आंधी और बूंदाबांदी दर्ज की गई, वहीं रीवा और सीधी में भी बारिश हुई. रात के समय ग्वालियर, मुरैना, सागर, दमोह और खरगोन सहित कई जिलों में गरज-चमक के साथ वर्षा हुई. इस बार फरवरी महीना सामान्य से अलग रहा है. महीने की शुरुआत में ही दो बार ओले और बारिश हुई थी, 18 फरवरी से तीसरा दौर सक्रिय रहा, और अब 23 फरवरी से चौथी बार बादलों ने दस्तक दी है.

> पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री, मंदसौर में 11.7 डिग्री और राजगढ़ में 12.4 डिग्री दर्ज किया गया. भोपाल और इंदौर में मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन प्रदेश के अन्य हिस्सों में मौसम अस्थिर बना हुआ है. फरवरी के अंतिम दिनों में भी कहीं धूप, कहीं बादल और बारिश का मिश्रित प्रभाव जारी रहने का अनुमान है. किसान और आम लोग बारिश और तापमान के उतार-चढ़ाव के कारण मौसम के प्रति सतर्क बने हुए हैं.

जंगल में लिपिक का शव फांसी पर लटका मिला

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 24 फरवरी। जिले के चितरंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरफरी में पदस्थ लिपिक गजेंद्र सिंह उम्र 31 का शव रविवार को कोहंडल जंगल में एक पेड़ से फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही चितरंगी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच प्रारंभ की।

प्राप्त जानकारी के अनुसार गजेंद्र सिंह पिता छबिलाल सिंह निवासी ग्राम अतरैला, पोस्ट उमरिया, थाना मझौली के रहने वाले थे और वर्ष 2014 से हरफरी विद्यालय में लिपिक के पद पर पदस्थ थे। बताया जा रहा है कि 23 फरवरी को उन्होंने अपनी माता के

मोबाइल पर संदेश भेजा था कि मुझे लोग मार डालेंगे। इस संदेश के बाद से परिजन चिंतित थे। अगले ही दिन उनका शव जंगल में फांसी पर लटका मिला। घटना की सूचना पर पुलिस ने हत्या की आशंका को ध्यान में रखते हुए डॉग स्क्वॉड की सहायता भी ली, लेकिन फिलहाल कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग सका है। पुलिस ने मौके पर पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चितरंगी भेजा। प्राथमिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। घटनास्थल की स्थिति और शव की हालत से प्रथम दृष्टया यही संकेत मिल रहे हैं, हालांकि मृतक द्वारा भेजा गया अंतिम संदेश कई सवाल खड़े कर रहा है। इसी कारण पुलिस किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। साथ ही मृतक के परिजनों के बयान, मोबाइल कॉल डिटेल और हाल के दिनों की गतिविधियों की भी जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गंभीरता से पड़ताल कर रही है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत जिला स्तरीय पुरूष वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 24 फरवरी। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत जिले में मलखंब, कुश्ती, पिट्ठू एसिटोलीया सेवन स्टोन्स, गिल्ली-डंडा, लंगडी, कंचा, धनुष बाण, घुड़सवारी, खो-खो, कबड्डी एवं बैलगाड़ी दौड़ या अन्य कोई स्थानीय पारम्परिक खेल को प्रोत्साहित करने के लिए जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना है।

इसी तारतम्य में 27 फरवरी को राजमाता चूनकुमारी स्टेडियम बैढ़न में स्तरीय पुरूष वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी। इन खेलो में क्षेत्रिय प्रतिभाओं को अपना हुनर दिखाने का अवसर मिलेगा। जिपं सीईओ जगदीश गोमे ने बताया कि जिला स्तरीय विजेता को प्रथम पुरस्कार के रूप में राशि रूपये 21 हजार, द्वितीय पुरस्कार में 11 हजार रूपयें एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में रूपये 5 हजार 100 दिया जायेगा तथा सांत्वना पुरस्कार के रूप में राशि रूपये 1 हजार 100 प्रदान किए जायेंगे। उन्होंने बताया कि 25 फरवरी को ब्लॉक स्तरीय चयन कबड्डी पुरूष खेल प्रतियोगिता का ट्रायल तीनो विकास खण्डो में आयोजित किया जायेगा। जिसके तहत देवसर ब्लॉक में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय खेल मैदान में ट्रायल आयोजित होगा। वही चितरंगी ब्लॉक अंतर्गत उत्कृष्ट विद्यालय चितरंगी में तथा ब्लॉक बैढ़न में ननि क्षेत्रांतर्गत नवानगर सामुदायिक भवन व ग्राम पंचायत तियरा में ट्रायल आयोजित किए जायेंगे। खेल प्रतियोगिता आयोजन जिला पंचायत सिंगरौली द्वारा किया जायेगा।

मऊगंज में गोवंश के मांस सहित आरोपी गिरफ्तार

रीवा, 24 फरवरी, मऊगंज थाना अन्तर्गत घुरेहटा तेलियान टोला वार्ड क्रमांक 12 में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक घर में दबिश दी. जहा गोवंश के पैर और मांस के टुकड़े मिले है. गोवंश के टुकड़े कर मांस को बेचने की तैयारी में आरोपी था. पुलिस ने दबिश देने के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. मऊगंज के घुरेहटा तेलियान मोहल्ले में उस वक्त सनाका खिच गया जब पुलिस टीम एक घर में दबिश दी. मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस को देखते ही आरोपी मोहम्मद शरीफ पिता अब्दुल ने कमरे को ताला लगाया और वहां से रफूचक्कर होने की कोशिश की. लेकिन पुलिस की सूझबूझ और मुस्तैदी के आगे उसकी एक न चली. जब पुलिस ने बंद कमरे का ताला तोड़ा, तो अंदर का नजारा खौफनाक था. कमरे के अंदर गोवंश को कई टुकड़ों में काटकर रखा गया था. मौके से पुलिस ने गोवंश के टुकड़े करने वाला हथियार गड़ासा आदि जप्त किया है. शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी मोहम्मद शरीफ पिता अब्दुल गोवंश का मांस बेचने और स्वयं के इस्तेमाल के लिए रखा हुआ था.

भारतीय खाद्य निगम

क्षेत्रीय कार्यालय, चेतक भवन, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011
दूरभाष: 0755-2573444, फैक्स : 0755-2573418, ईमेल: gmmp.fci@gov.in

क्र. एसएंडसी/13/एचटीसी/एनआईटी/2026/05 दिनांक: 25.02.2026

निविदा आमंत्रण सूचना

मध्यप्रदेश क्षेत्र में विभिन्न नियमित हैंडलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति के लिए Government E Marketing Portal (URL:https://gem.gov.in) पर online प्रस्ताव आमंत्रित किये गये है। निविदा के बारे में विस्तृत विवरण वेबसाइट www.fci.gov.in & www.gem.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत एनआईटी एवं एमटीएफ में देखा जा सकता है। किसी विवाद की स्थिति में निविदा आमंत्रण सूचना का अंग्रेजी रूपांतरण मान्य/वैध होगा।

महाप्रबंधक (क्षेत्र)

नेवारी में सरकारी कृषि भूमि पर कब्जे का आरोप, ग्रामीणों ने प्रशासन से की सख्त कार्रवाई की मांग

कोरावल तहसील के ग्राम क्षेत्र में खसरा नंबर 371 और 372 की भूमि पर अवैध निर्माण का मामला आया सामने

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 24 फरवरी। कोरावल तहसील अंतर्गत एक ग्राम पंचायत क्षेत्र नेवारी में सरकारी कृषि भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि खसरा नंबर 371 सड़क है और 372, रकबा लगभग 0.62 हेक्टेयर शास. कृषि भूमि पर कुछ लोगों द्वारा बिना अनुमति निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

इस संबंध में ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं

होने से लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि संबंधित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में शासकीय कृषि भूमि के रूप में दर्ज है। इसके बावजूद वहां पर मकान निर्माण, बाउंड्री वॉल और अन्य स्थायी ढांचे बनाए जा रहे हैं। आरोप है कि कब्जाधारियों द्वारा खुलेआम निर्माण कार्य कराया जा रहा है और प्रशासनिक अमला इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। इससे गांव में असंतोष का माहौल बन गया है। शिकायतकर्ता ग्रामीणों ने बताया कि भूमि पर अवैध कब्जा होने से न केवल सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि भविष्य में विवाद की स्थिति भी बन सकती है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो अन्य लोग भी शासकीय भूमि पर कब्जा करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। ग्रामीणों ने तहसीलदार और एसडीएम से मांग की है कि मौके पर राजस्व टीम भेजकर सीमांकन कराया जाए और अवैध कब्जा हटाया जाए। साथ ही दोषियों के खिलाफ नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों में चर्चा है कि प्रशासन की उदासीनता के चलते अवैध निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपने और आंदोलन करने को मजबूर होंगे। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब देखना होगा कि शिकायत के बाद राजस्व विभाग कब तक मौके पर जांच कर कार्रवाई करता है और शासकीय भूमि को कब्जामुक्त कराता है या नहीं।

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल

ईमेल- ce. tender.wrdmp@gmail.com
फोन - 0755-2767635 फेक्स - 0755 - 2552406

निविदा सूचना क्रमांक - 1202 / 2025-26 / प्रमुख अभियंता / ई-टेंडरिंग / भोपाल, दिनांक 13.02.2026

निम्न कार्यों हेतु निविदा वेबसाइट https://www.mptenders.gov.in पर आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र दिनांक 09.03.2026 को 17.30 बजे तक कय / डाउनलोड तथा प्रस्तुत किए जा सकते हैं ।

निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा । विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

स.क्र.	निविदा क्र.	कार्य	जिला	लागत (लाख)
1.	2026_WRD_479754	समृद्धि योजना (कमाण्ड विकास का आधुनिकीकरण) के अंतर्गत बहुती MCAD Phase - 2 Cluster (PPIN) में किसान संबंध ऐजन्सी (FRA) की भागीदारी के कार्य ।	रीवा	158.45

G-26323/25 मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट)

ग्राम पंचायत चाचर में भ्रष्टाचार के आरोप, 100 दिन बाद भी नहीं हुई जांच

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 24 फरवरी। जिले की जनपद पंचायत बैढ़न अंतर्गत ग्राम पंचायत चाचर में भ्रष्टाचार, अधूरे निर्माण कार्यों और अनियमितताओं के गंभीर आरोप सामने आए हैं। पंचायत के नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा जिला प्रशासन से कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

बताया जा रहा है कि सीएम हेल्पलाइन एवं जनसुनवाई के माध्यम से दर्ज कराई गई शिकायतों को 100 दिन से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन न तो जांच हुई और न ही दोषियों पर कार्रवाई की गई।

उप सरपंच आरती शाह सहित ग्रामीणों ब्रजेश शाह, शैलेन्द्र वैश्य और अन्य नागरिकों ने आरोप लगाया है कि पंचायत में किए गए कई विकास कार्य अधूरे पड़े हैं, वहीं कुछ कार्यों में भारी वित्तीय अनियमितता बरती गई है। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद जिला एवं जनपद स्तर के अधिकारी मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं और आरोपियों को बचाने का काम किया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार वे जिला पंचायत कार्यालय में जिला सीईओ से मिलने पहुंचे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया और चपरासी के माध्यम से मुख्य बाबू के पास भेज दिया गया। वहां यह कहकर लौटा दिया गया कि कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इसके बाद जब वे जनपद पंचायत बैढ़न पहुंचे तो वहां से यह कहकर वापस कर दिया गया कि सारी जानकारी जिला स्तर पर मिलेगी। इस तरह ग्रामीणों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के बीच घुमाया जा रहा है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि पंचायत स्तर पर निरीक्षक और सचिव द्वारा शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। यहां तक कहा जा रहा है कि यदि शिकायत की गई तो आवास योजना का सर्वे निरस्त कर दिया जाएगा। इससे गरीब और मजदूर वर्ग के लोग भय के कारण खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं।

शिकायत कर्ताओं ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि स्वयं मौके पर निरीक्षण कराएं या किसी स्वतंत्र एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। उनका कहना है कि जनसुनवाई केवल औपचारिकता बनकर रह गई है, जिससे जनता का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं। हर बार सुनवाई में आने-जाने का किराया और एक दिन की मजदूरी का नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन समाधान शून्य है। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और संभाग आयुक्त को भी भेजी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस गंभीर शिकायत को कितनी गंभीरता से लेता है और कब तक दोषियों पर कार्रवाई होती है।

नाम सुधार सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भूलवस मेरे ड्राइविंग लाइसेंस में मेरा नाम Kapil Deo Singh लिखा है एवं मेरे पिताजी का नाम बी. के. लिखा गया है। जो गलत है.जबकि मेरा वास्तविक, सही नाम कपिल देव सिंह (Kapil Dev Singh) है. पिताजी का नाम बृज किशोर सिंह है मेरे आधार कार्ड व अन्य सरकारी रिकॉर्ड में उक्त नाम लिखा है. आज प्रकाशित दिनांक 25 फरवरी 2026 से सभी जगह, शासकीय रिकॉर्ड में कपिल देव सिंह (Kapil Dev Singh) मेरे पिता जी नाम ब्रज किशोर सिंह से लिखा पढ़ा वा जाना जावे. जो सही और सत्य है जो सर्वमान्य है.

पता -कपिल देव सिंह बेलदरा पोस्ट पहाड़ी , तहसील मैहर, जिला मैहर (मध्य प्रदेश) 485771

कार्यालय नगर परिषद जैतवारा जिला सतना (म.प्र.)

cmojatwara@mpurban.gov.in

क्रमांक /186/नं.पं./26 जैतवारा, दिनांक 17/02/26

ई-निविदा सूचना - प्रथम आमंत्रण

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्यालय नगर परिशद जैतवारा में स्वच्छ सर्वेक्षण ODF ++, GFC STAR RATING 2025 हेतु निम्नानुसार कॉलम में वर्णित कार्य दरों की आवश्यकता है। जिस हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पजीकृत फर्म/कसल्टेंसी से ऑनलाइन निविदाएँ आमंत्रित की जाती है । निविदा विस्तृत वेबसाइट https://mptenders.gov.in/ पर देखा जा सकता है ।

क्र.	टेण्डर क्र. जारी दिनांक	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	कार्य की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2026_UAD_ 483060 Date- 17.02.2026	स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 अंतर्गत आई.ई. सी. और बी. सी. गतिविधि आयोजन, फील्ड प्रिपरेशन, तकनीकी सहयोग, सतत स्वच्छता, नागरिक सहभागिता एवं समस्त दस्तावेजीकरण कार्य .	5.25 लाख	स्वच्छ सर्वेक्षण ODF++, GFC STAR RATING 2025 परिणाम घोशित होने तक	2000.00 5250.00	06.03.2026

नोट: निविदा से सम्बंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन https://mptenders.gov.in/की वेबसाइट पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा ।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद जैतवारा, जिला- सतना (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्ट्रेट, जिला मैहर (म0प्र0) एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

/ / अधिसूचना / /

भू-अर्जन प्र0क0.....पत्र क्र0 06/ भू-अर्जन / 26 दि0 20/ 02/2026 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) मे उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अत: भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 मे उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध मे धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिये प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे मे0) लगभग		
मैहर	मैहर	बेरमा	0.0144 0	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु) निर्माण रीवा संभाग रीवा म0प्र0	लेविल क्रासिंग 375 किमी0 1132/8-9 में कटनी से मानिकपुर रेल लाइन में रेल्वे ओवरब्रिज निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) मैहर के कार्यालय मे देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
(रानी बाटड)
कलेक्टर
जिला, मैहर म0प्र0
एवं पदेन उप सचिव म0प्र0 शासन
राजस्व विभाग

G-26317/25